



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2002/माघ 2, 1923

No. 8]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2002/MAGHA 2, 1923

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2002

फा. सं. 301/2/2002-टी आर ए आई (इकाँन).— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उन टैरिफों के संबंध में जिनके अनुसार भारत के अंदर और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में एक संशोधन करके, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है :—

दूरसंचार टैरिफ (सत्रहवां संशोधन) आदेश, 2002

(2002 का क्रमांक 1)

भाग I

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ

- (i) इस आदेश को "दूरसंचार टैरिफ (सत्रहवां संशोधन) आदेश 2002" कहा जाएगा।
- (ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा।

भाग II

- 2.1 दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड II (परिभाषाएं) के अंतर्गत, उप-धारा (डी) के बाद निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्

“(डीडी) “ रिपोर्ट करने की तारीख “ का अर्थ उस तारीख से है जिसको, प्रस्तावित टैरिफ योजना अथवा विद्यमान टैरिफ योजना में किसी परिवर्तन के संबंध में, किसी सेवा प्रदाता से प्राधिकरण के कार्यालय में रिपोर्ट प्राप्त हुई है” ।

- 2.2 दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की धारा II (परिभाषाएं) के अंतर्गत, उप-धारा (एल) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(एल) “रिपोर्ट करने की आवश्यकता “ का अर्थ सेवा प्रदाता द्वारा इस आदेश के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के लिए किसी नए टैरिफ को कार्यान्वित करने अथवा/ और उनमें किसी परिवर्तन की प्रस्तावित तारीख से कम से कम पांच कार्यदिवस पहले, प्राधिकरण को अनुमोदनार्थ, प्राधिकरण को रिपोर्ट करने के दायित्व से है” ।

- 2.3 दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 के खंड 7 (रिपोर्ट करने की आवश्यकता) में, धारा III के अंतर्गत, उप-खंड (iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा :

“(iii) यदि सेवा प्रदाता को रिपोर्ट करने की तारीख से पांच कार्यदिवस के अंदर प्राधिकरण से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है तो सेवा प्रदाता, कार्यान्वयन से पहले अथवा किसी मिडिया के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा करने से पहले, पांच और दिन के लिए प्रतीक्षा करेगा, जब तक कि इसी बीच प्राधिकरण हस्तक्षेप न करे” ।

- 2.4 दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 के खंड 7 (रिपोर्ट करने की आवश्यकता) में, धारा III के अंतर्गत, उप-खंड (iii) के बाद निम्नलिखित उप खंड जोड़ा जाएगा, यथा :

“(iv) किसी दूरसंचार सेवा अथवा किसी भाग के संबंध में किसी नई टैरिफ योजना अथवा विद्यमान टैरिफ में किसी परिवर्तन के संबंध में, जिसके लिए उसके कार्यान्वयन से पहले प्राधिकरण का अनुमोदन अपेक्षित है, उस टैरिफ योजना अथवा विद्यमान टैरिफ में किसी परिवर्तन की प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन से पहले, किसी मीडिया के जरिए घोषणा नहीं की जाएगी”।

भाग III

इस आदेश में संलग्नक “क” में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में इस संशोधन के कारण बताए गए हैं।

आदेशानुसार,
डा. हर्ष वर्धन सिंह, सचिव एवं प्रधान सलाहकार
[सं. विज्ञापन 3/4/142/01/असा.]

संलग्नक “क”

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 (टी टी ओ, 1999) में, भाग III के खंड 7 के अंतर्गत, “रिपोर्ट करने की आवश्यकता” के संबंध में प्रावधान निर्धारित हैं। सभी सेवा प्रदाता, सभी टैरिफ योजनाओं के संबंध में और विद्यमान टैरिफ योजनाओं में किसी परिवर्तन को कार्यान्वित करने से पहले रिपोर्ट करने की आवश्यकता का पालन करेंगे।
2. सेवा प्रदाताओं से यह अपेक्षित है कि वे कार्यान्वयन की प्रस्तावित तारीख से पांच कार्यदिवस पहले अपनी टैरिफ योजनाओं और विद्यमान टैरिफ सरंचना में संशोधनों को प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ फाइल करेंगे। इस आदेश में इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि प्राधिकरण अनुमोदन हेतु पांच कार्यदिवस से अधिक भी ले सकता है।

3. कुछ मामलों में, प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि सेवा प्रदाता अपनी टैरिफ प्रस्तावों के बारे में अपनी टैरिफ योजना के कार्यान्वयन की तारीख से स्पष्ट पांच कार्य दिवस पहले, रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्राधिकरण का मत है कि रिपोर्ट करने की तारीख की परिभाषा से सेवा प्रदाताओं को रिपोर्ट करने की समयावधि समझने में मदद मिलेगी।
4. प्राधिकरण द्वारा यह नोट किया गया है कि कुछ मामलों में, सेवा प्रदाता अपने टैरिफ प्रस्तावों को, टी टी ओ 1999 के खंड 7 के अनुसार प्राधिकरण को रिपोर्ट करने से पहले घोषित और प्रचारित कर रहे हैं। यह प्रथा, टी टी ओ 1999 में परिकल्पित रिपोर्ट करने की आवश्यकता की भावना के अनुकूल नहीं है।
5. रिपोर्ट करने की आवश्यकता का कठोरतः अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने टी टी ओ 1999 के भाग III के खंड 7 में संशोधन करने का निश्चय किया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2002

No. 301/2/2002-TRAI (Econ).—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of the Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby makes the following order by an amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999 by notification in the Official Gazette, in respect of tariffs at which Telecommunication services within India and outside India shall be provided :—

The Telecommunication Tariff (Seventeenth Amendment) Order, 2002

(1 of 2002)

Section I

1. Short title, extent and commencement:
 - (i) This Order shall be called “ The Telecommunication Tariff (Seventeenth Amendment) Order, 2002”.
 - (ii) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Section II

2.1 Under Section II (Definitions) of the Telecommunication Tariff Order, 1999, after sub-section d), following sub-section shall be inserted namely:

“(dd) “Date of Reporting” means the date on which the report from a service provider regarding the proposed tariff plan or any change in the existing tariff plan, is received at the Authority’s office.”

2.2 Under Section II (Definitions) of the Telecommunication Tariff Order, 1999, sub-section (l) shall be substituted by the following:

“(l) “Reporting Requirement” means the obligation of a service provider to report to the Authority at least FIVE working days before the proposed date of implementation of any new tariff for telecommunication services under this Order and/or any changes therein, for the approval of the Authority.”

2.3 Under Section III, in Clause 7 (Reporting Requirement) of the Telecommunication Tariff Order, 1999, sub-clause (iii) shall be substituted by the following :

“(iii) If the service provider does not hear from the Authority within FIVE working days from the date of reporting, the service provider shall, before implementation or making public announcement through any media, wait for another FIVE working days, unless in the meantime, the Authority intervenes.”

2.4 Under Section III, in Clause 7 (Reporting Requirement) of the Telecommunication Tariff Order, 1999, after sub-clause (iii) following sub-clause shall be inserted namely:

“(iv) No new tariff plan or any change in the existing tariff for any

telecommunication service or part thereof which requires approval of the Authority prior to its implementation, shall be announced through any media prior to approval of that tariff plan or any change in the existing tariff by the Authority.”

Section III

This Order contains at Annex A as an Explanatory Memorandum which explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999.

By Order,
Dr. HARSHA VARDHAN SINGH, Secy.-cum-Principal Advisor
[No. Advt. 3/4/142/01/Exty.]

Annex - A

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Telecommunication Tariff Order, 1999 (TTO,99) under Clause 7 of Section III stipulates the provisions in respect of Reporting Requirement. All service providers shall comply with the Reporting Requirement in respect of all the Tariff Plans and any changes in the existing Tariff Plans before implementation.
2. The service providers are required to file their tariff plans or amendments in the existing tariff structure for approval of the Authority before five working days from the proposed date of implementation. The text also takes account of the point that the Authority may take more than five working days for approval.
3. In some cases, the Authority has noted that service providers are not reporting their tariff proposals before clear five working days from the date of implementation of their tariff plan. The Authority feels that a definition of the date of reporting will help the service providers to understand the time period of reporting.

4. It has been noted by the Authority that in certain cases, service providers are announcing and publicising their tariff proposals prior to the reporting of the same to the Authority as per clause 7 of TTO, 1999. This practice is not in spirit of the reporting requirement envisaged in TTO, 1999.
5. In order to achieve strict compliance of the Reporting Requirements, the Authority has decided to bring an amendment to Clause 7 of Section III of the TTO, 1999.

